

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासनादेश संख्या-XX-4/2019-1(19)/2019, दिनांक 22 अगस्त 2019 एवं शासनादेश संख्या-365412/XX(2)/26-01(19)/2019(E-97968), दिनांक 28.01.2026 के माध्यम से प्रदेश की कारागारों का सुगम/दुर्गम क्षेत्रों में चिन्हीकरण निम्नानुसार अवधारित किया गया है :-

क्र0	कारागार का नाम	स्थल चिन्हीकरण
01	जिला कारागार, देहरादून,	सुगम क्षेत्र
02	जिला कारागार, हरिद्वार,	सुगम क्षेत्र
03	केन्द्रीय कारागार/शिविर सितारगंज, ऊधमसिंहनगर,	सुगम क्षेत्र
04	उप कारागार, रुड़की,	सुगम क्षेत्र
05	उप कारागार, हल्द्वानी,	सुगम क्षेत्र
06	जिला कारागार, नैनीताल,	सुगम क्षेत्र
07	जिला कारागार, अल्मोड़ा,	दुर्गम क्षेत्र
08	जिला कारागार, पौड़ी,	दुर्गम क्षेत्र
09	जिला कारागार, टिहरी,	दुर्गम क्षेत्र
10	जिला कारागार, चमोली,	दुर्गम क्षेत्र
11	जिला कारागार पिथौरागढ़,	दुर्गम क्षेत्र

तदनुसार कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड में सुगम-दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण प्रसारित किया जाता है।

(अभिनव कुमार)

महानिदेशक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,  
उत्तराखण्ड।

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।

संख्या : 253/स-45/स्था0अधि0-2017/2026, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, गृह एवं कारागार, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उक्त सुगम-दुर्गम चिन्हीकरण से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को राज्य की वेबसाइट में प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी वेबसाइट, मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड को विभागीय वेबसाइट में प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाइल।

(अभिनव कुमार)

महानिदेशक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,  
उत्तराखण्ड।